

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक:- 1954/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊ: दिनांक: मई 06, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे० आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्रांक-112/81-2-2019-79/91, दिनांक 26.12.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पृष्ठांकन सं०-1274/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 26.12.2019 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक-1289/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 30.12.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1464/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 23.01.2020 व पत्रांक-1585/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, दिनांक 06.02.2020

महोदय,

उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में दो बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना/अभिलेख स्पष्ट सहमति/संस्तुति सहित प्रेषित करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको लिखा गया था। इसी क्रम में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.01.2020 के द्वारा आपको विषयगत प्रकरण में अपनी अध्यक्षता में जाँच समिति गठित करते हुये उ०प्र० शासन की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण सहित प्रभागीय वनाधिकारियों की भूमिका एवं जाँच आख्या अपनी स्पष्ट सहमति/संस्तुति मय अभिलेखों के साथ तीन प्रतियों में तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में आपके द्वारा अपने पत्रांक-4483/मी०क्ष०/33, दिनांक 18.03.2020 से उ०प्र० शासन की आपत्तियों का निराकरण समाहित किये बिना ही जाँच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जाँच रिपोर्ट के साथ आपके द्वारा केवल एक ही Geo Referenced Digital Map संलग्न किया गया है, जिस पर न तो प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर हैं और न ही प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर हैं तथा जाँच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः विषयगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2019 के द्वारा की गयी आपत्तियों एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.01.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उ०प्र० शासन की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण (निर्धारित टैबुलर फार्म में) को समाहित करते हुये समेकित जाँच रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारियों की भूमिका एवं जाँच आख्या अपनी स्पष्ट सहमति/संस्तुति मय अभिलेखों सहित तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विषयगत प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति का है। इसे अति आवश्यक समझें, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

23/5/20

(डा० राजीव कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-1954/11-सी-FP/UP/Min/29061/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/5/20

(डा० राजीव कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०, लखनऊ।